संख्या-767/2026/1793/22-2-2025-ई-03/2020

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीरज मिश्रा पुत्र श्री नरेश चन्द्र मिश्रा, निवासी जनपद-कानपुर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीरज मिश्रा पुत्र श्री नरेश चन्द्र मिश्रा (दिनांक 27.05.2022 तक 42 वर्ष), जो ग्राम-छीतमपुर, थाना-चौबेपुर जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 27.06.2008 को रस्सी से गला घोटकर 15 वर्षीय लड़की की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-1529/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-11, लखनऊ के आदेश दिनांक 03.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 27.05.2022 तक अपरिहार 12 वर्ष, 05 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 04 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन ज्ञात नहीं होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 27.05.2022 तक बन्दी की 42 वर्ष की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 27.05.2022 तक अपरिहार 12 वर्ष, 05 माह, 09 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 03 माह, 04 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (15 वर्षीय लड़की की हत्या) एवं पुलिस उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा समयपूर्व की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नीरज मिश्रा (बन्दी संख्या-17148) पुत्र श्री नरेश चन्द्र मिश्रा, निवासी जनपद-कानपुर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-767/2026/1793(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।

3- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।